न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/641

1. रामकिशन आत्मज हीरालाल जाति मेहर निवासी ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. चुन्नी लाल आत्मज हीरालाल जाति मेहर निवासी ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसी बाई पुत्री गोपाल पत्नी हीरालाल जाति मेहर निवासी दरबीजी तहसील दीगोद जिल कोटा ।
2. नन्दकिशोर पुत्र गजानन्द जाति मेहर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल मुका सूरसागर, कोटा ।
3. भूली बाई पत्नी रामप्रताप जाति बैरवा निवासी कोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कैला बाई पुत्री देवलाल जाति मेहर निवासी दरबीजी हाल रामचन्द्रपुरा नहर के पास छावन कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।
6. बंशी लाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. बनवारी लाल पुत्र नन्दकिशोर जाति मेघवाल निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध पे की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ए वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 का पेश किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्ग धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम दरबीजी तहसी दीगोद में 06 किता की 4.07 हैक्टर आराजी स्थित है उक्त भूमि अप्रार्थी कम 1, 3 व 4 के ना

शामलाती रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 को उसके पिता गोपाल जी की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई है । अप्रार्थी क्रम 1 ने हीरालाल के नुत्फे से प्रार्थीगण को जन्म दिया है । अप्रार्थी क्रम 2 ने अपने पिता गजानन्द की समस्त सम्पत्तियों प्राप्त कर ली हैं । उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी क्रम 1 के साथ बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्सा है । प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 के साथ उक्त भूमि में 2/3 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी क्रम 2 अप्रार्थी क्रम 1 पर दबाव डालकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं रहन, बेचान करने पर आमदा हैं । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी को अथवा उसके किसी भाग को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे । राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ग्यारसीबाई की संतान हैं और दोनों का ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2017 से 17.07.2017 तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की । उसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट क्रम 6 व 7 को बेचान कर दिया है जो अवैध है । उक्त भूमि में अपीलान्ट का जन्म से ही अधिकार है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का हक अधिकार है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा किया गया बेचान अवैध व प्रभावशून्य है । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की माता ग्यारसीबाई के

खाते की थी जिस पर अपीलान्ट कम 1 व 2 रेस्पोडेन्ट कम 1 के पुत्र होने से अबाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्ट का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट को जन्म से ही वादग्रस्त आराजी में अधिकार प्राप्त है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा दौराने दावा वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है जो काननून गलत है इस बेचान की आड में रेस्पोडेन्ट कम 6 व 7 अपने नाम इंतकाल खुलवाने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताकर आए हैं परन्तु माता की सम्पत्ति को पुश्तैनी नहीं कहा जा सकता । वादग्रस्त आराजी ग्यारसी बाई के नाम दर्ज है उनको गोपाल की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई थी । सम्पत्ति हीरालाल की नहीं है, हीरालाल वर्तमान में जीवित है कब्जे के बाबत् अपीलान्टगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–76 के अनुसार कुल 06 किता की 4.07 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्टगण के सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें ग्यारसी बाई पुत्री गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज है । अपीलान्टगण स्वयं को ग्यारसी बाई के पुत्र बताते हुए एवं वादग्रस्त आराजी को पैतृक बताते हुए उसमें घोषणा की सहायता चाहते हैं और यह धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1 1/2 हिस्से के ही सहखातेदार दर्ज हैं और यह आराजी उनको उनके पिता से प्राप्त हुई है। आराजी पैतृक नहीं है । अपीलान्ट प्रार्थीगण की माता अभी जीवित है और यह सम्पत्ति उनके तन्हा खाते में दर्ज है उसमें किसी प्रकार का अधिकार प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा